Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

- बीकानेर में पांचू हल्का पटवारी अम्बालाल मीणा व दलाल श्रीराम ई–मित्र संचालक 4,000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 30 अक्टूबर, गुरूवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी बीकानेर एसयू इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी **अम्बालाल मीणा हाल राजस्व पटवारी पटवार मण्डल पांचू तहसील नोखा, जिला बीकानेर व दलाल श्रीराम हाल महादेव ई–मित्र संचालक पांचू तहसील नोखा, जिला बीकानेर** को **4000/– रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी बीकानेर एसयू को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के पांचू स्थित कृषि भूमि में बिजली के टावर के निचे आई भूमि का मुआवजे की चौथी किश्त करीब 50,000/– रूपये लेने के लिए पांचू पटवारी श्री अम्बालाल मीणा द्वारा रिपोर्ट तैयार कर देने की एवज में 4000/– हजार रूपये रिश्वत की मांग कर ईमित्र संचालक श्रीराम जाट को रिश्वत राशि देने के लिए कहा गया।

जिस पर एसीबी बीकानेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री भुवन भूषण यादव** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी बीकानेर एसयू के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आशीष कुमार** मय टीम के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी महादेव ई–मित्र संचालक श्रीराम जाट द्वारा परिवादी से 4000/– रूपये की रिश्वत राशि पटवारी अम्बालाल मीणा के लिए लेने पर ई–मित्र संचालक श्रीराम जाट व पटवारी अम्बालाल मीणा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।